



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244662
CG-DL-E-24032023-244662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]
No. 173]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

सा.का.नि 215 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 17(52)2017-पीएल/एनजीटी]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के संख्यांक सा.का.नि. 296(अ), तारीख, 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और अंतिम बार सा.का.नि. 1473(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किये गये।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2023

G.S.R. 215(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 4 read with section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Practices and Procedure) Rules, 2011, namely:-

1. **Short title and commencement:**-(1) These rules may be called the National Green Tribunal (Practices and Procedure) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Green Tribunal (Practices and Procedure) Rules, 2011, in sub-rule (1) of rule 3, the proviso shall be omitted.

[F. No. 17(52)/2017-PL/NGT]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1), vide number G.S.R. 296(E), dated the 4th April, 2011 and was last amended vide G.S.R. 1473(E), dated the 1st December, 2017.